

यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य, डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून के माह 07/2017से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय पाल सिंह नेगी व. लेखापरीक्षक, श्री विश्व प्रकाश सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15-12-2020 से 21-12-2020 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजकुमार, लेखापरीक्षक श्री खुशीराम नौटियाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.07.2017 से 02.08.2017 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2015 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:

(अ) प्राचार्य, डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून का मुख्य कार्यकलाप छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है।

(ब) प्राचार्य, डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून के अन्तर्गत B.A, B.com, B.S.C, M.com, M.A, M.COM, M.SC, B.ED एवं law विषयों में पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटन	व्यय	समर्पण	बचत
2017-18	-	230.44	230.44	-	-
2018-19	-	261.84	261.84	-	-
2019-20	-	285.08	285.08	-	-
2020-21 (11/2020)	-	221.40	221.40	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	ब्याज	व्यय	बचत(-)
2017-18	-	-	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-	-	-
2019-20	-	-	-	-	-	-
2020-21 (upto 11/2020)	-	-	-	-	-	-

(ii) इकाई को बजट राज्य सरकारसे प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचानिम्नवत है:

प्रमुख सचिव – सचिव - निदेशक - प्राचार्य / संयुक्त निदेशक

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में प्राचार्य, डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/19 एवं 09/20 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।
4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर-1 रु 72.07 लाख के अग्रिम का समायोजन न किया जाना ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-06 के प्रस्तर 172 के अनुसार यदि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वाउचर के माध्यम से किसी कार्य को किये जाने हेतु अग्रिम भुगतान किया जाता है तो उसको यथा शीघ्र समायोजित करके बंद कर दिया जाना चाहिए । यदि अग्रिम का समायोजन नहीं किया जाता है तो कुछ समय पश्चात् उसकी वसूली संबन्धित कार्यवाही की जानी चाहिये ।

(अ) महाविद्यालय के सांस्कृतिक खाता (Cultural A/c) छात्र संघ खाता (Student Fund A/c) एवं खेल खाते (Games A/c) सम्बन्धी अभिलेखों की लेखापरीक्षा अवधि (जुलाई 2017 से नवम्बर 2020 तक) की जांच में पाया गया की सांस्कृतिक खाते, छात्र संघ खाते एवं खेल खाते (Games A/c) में संबंधितों को समय समय पर विभिन्न कार्यों के लिये अग्रिम राशि दी गयी (संलग्नक 1 से 3 के अनुसार) । परंतु अग्रिम राशि का समायोजन बिल न तो सम्बन्धितों द्वारा महाविद्यालय को उपलब्ध कराया गया और न ही महाविद्यालय द्वारा समायोजन बिल प्राप्त किये जाने हेतु कोई प्रयास किया गया । महाविद्यालय द्वारा प्रथम अग्रिम के समायोजन के बिना अगला अग्रिम प्रदान किया गया । साथ ही तीन प्रकरणों में यह भी पाया गया की संबंधितों द्वारा व्यय किये जाने से पूर्व प्राचार्य का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। व्यय किये जाने के पश्चात् मात्र खर्च के ब्योरे के आधार पर संबंधितों को भुगतान हेतु प्राचार्य द्वारा भुगतान स्वीकृत किया गया । जो वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -06 के नियमों के विरुद्ध था।

(आ) महाविद्यालय के मरम्मत खाते संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया की विशेषज्ञों को टीए/डीए के भुगतान हेतु शैक्षणिक कर्मचारियों को अग्रिम धनराशि माह 10/2019 में प्रदान की गई थी। जिसका समायोजन बिल माह 11/2019 में संबंधितों द्वारा प्रदान किया गया। लेकिन निरीक्षण में पाया गया की रु 3.50 लाख के अग्रिम के विरुद्ध रु 3.48 लाख का समायोजन हेतु प्रस्तुत वाउचर को संबन्धित प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त न तो प्राचार्य द्वारा और न ही सचिव प्रबंध समिति द्वारा सत्यापित किया गया। (संलग्नक -4) बगैर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अग्रिम को समायोजित मान लिया गया। जो वित्तीय नियमों के प्रतिकूल था।

अग्रिमों का समायोजन न किये जाने एवं बिना समायोजन के अगला अग्रिम दिये जाने के संबंध में पूछे जाने पर महाविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधितों को समय-समय पर अवगत कराया जाता रहा है किन्तु उनके द्वारा अग्रिमों के समायोजन के संबंध में कोई रुचि नहीं दिखायी जाती है। जिस कारण वर्तमान तक अग्रिमों का समायोजन नहीं हो सका।

महाविद्यालय के उत्तर से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि दिये जाने वाले अग्रिमों के समायोजन के प्रति महाविद्यालय द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया और एक के बाद दूसरा अग्रिम प्रदान किया जाता रहा है। जो वित्तीय नियमावली खंड-06 के उक्त प्रस्तर का उल्लंघन था।

अतः रु 72.07 लाख के अग्रिम के समायोजन संबंधी कार्यवाही न किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

(संलग्नक -1)

Cultural A/c			
Date	Purpose	Cheque No.	Amount (in Rs.)
22-09-17	Advance to Purchase Furniture for student union	033484	1,30,000 /-
13-10-17	Advance for health camp	000501	70,000 /-
06-11-17	Advance for student union inauguration ceremony	000502	2,00,000 /-
06-11-17	Poster & banner for student union inauguration ceremony	000503	31,000 /-
16-11-17	Payment for TA DA for HNB Garwhal University	000504	50,000 /-
21-12-17	Payment for TA DA visiting to Convocation in HNB Garwhal University	000506	35,000 /-
22-12-17	Payment for Chhatsrangh Common Programme	000507	1,50,000 /-
27-02-18	Advance for celebration of student union week 2017-18	000511	3,00,000 /-
26-03-18	Advance for celebration of student union week 2017-18	000512	3,00,000 /-
05-04-18	Advance for celebration of student union week 2017-18	000511	1,00,000 /-
05-04-18	Payment for celebration of student union week 2017-18	000514	10,000 /-
01-10-18	Advance for repair & maintenance of student union building	054961	1,00,000 /-
04-10-18	Advance for repair & maintenance of student union building	054963	75,000 /-
29-10-18	Advance for Student Union Inauguration ceremony	054964	2,00,000 /-
03-11-18	Advance for Student Union Inauguration ceremony	054965	90,000 /-
06-02-19	Advance for Celebration of Student Union Week 2018-19	054966	2,50,000 /-
06-02-19	Advance for Celebration of Student Union Week 2018-19	054967	4,50,000 /-
15-03-19	Payment for TA DA for HNB Garwhal University	054970	2,50,000 /-
23-09-19	Advance for organising Kavi Sammelan	054975	2,25,000 /-
04-10-19	Advance for Furniture in Student Union office	054977	1,75,000 /-
04-10-19	Advance for Martyr Day Celebration	054978	1,00,000 /-
20-11-19	Payment for Movement held against fee increment	054979	70,000 /-
20-11-19	Advance for martyr honour	054980	1,00,000 /-
23-11-19	Payment For going to HNB Garwhal University	054981	10,000 /-
12-12-19	Payment for M/s Sagar light & tent House, dehradun	054983	1,10,000 /-
19-02-20	Advance for Celebration of Student Union Week 2019-20	054986	2,50,000 /-
20-02-20	Advance for Celebration of Student Union Week 2019-20	054987	2,50,000 /-
25-02-20	Advance for Celebration of Student Union Week 2019-20	054988	65,000 /-
Total			41,46,000/-

संलग्नक-2

Student Union A/c			
Date	Purpose	Cheque No.	Amount
21-09-17	For printing Ballot papers	047726	72,273 /-
23-03-18	Advance for celebration of Student Union week 2017-18	047737	1,00,000 /-
05-04-18	Advance for celebration of Student Union week 2017-18	047740	2,50,000 /-
10-04-18	Advance for celebration of Student Union week 2017-18	047741	2,20,000 /-
30-08-18	Advance for conducting Student union Election 2018-19	047743	50,000 /-
26-04-19	Advance for celebration of Student Union week 2018-19	047769	4,00,000 /-
05-04-19	Advance for organizing women's day	047765	64,845 /-
24-04-19	Advance for student union activities	047767	38,470 /-
26-04-19	Advance for celebration of Student Union week 2018-19	047770	1,75,000 /-
02-09-19	Advance for student union election 2018-19	047771	50,000 /-
24-02-20	Advance for celebration of Student Union week 2019-20	068685	2,50,000 /-
25-02-20	Advance for celebration of Student Union week 2019-20	068686	3,00,000 /-
Total			19,70,588/-
Grand Total			61,16,588 /-

दिनांक	मदों का विवरण	चैक संख्या	धनराशि (रु में)
04/10/19	Advance for hockey tournament	061926	71,620/-
11/10/19	Advance for shooting tournament (M&W)	061928	41,100/-
11/10/19	Advance for wrestling tournament (M&W)	061929	21,500/-
12/10/19	Advance for weight lifting tournament	061931	34,202/-
12/10/19	Advance for kho-kho tournament (women)	061932	43,230/-
12/10/19	Advance for chess tournament	061933	35,280/-
12/10/19	Advance for kho-kho tournament (men)	061934	52,970/-
17/10/19	Advance for chess tournament (women)	061936	23,250/-
21/10/19	Advance for kabaddi tournament (Women)	061939	24,820/-
21/10/19	Advance for kabaddi tournament (men)	061940	29,240/-
25/10/19	Advance for cricket tournament (men)	061943	47,950/-
30/10/19	Advance for volleyball tournament (men)	061944	39,760/-
04/10/19	Advance for furniture	0545978	1,00,000/-
04/10/19	Advance for martyr days celebration	054977	1,75,000/-
		Total	7,39,922/-

संलग्नक-3

संलग्नक-4

अग्रिम का विवरण			समायोजित राशि	अवशेष राशि
चेक संख्या	दिनांक	धनराशि		
016572	18.10.2019	50000/-	348257/-	1743/-
016573	18.10.2019	50000/-		
016578	23.10 2019	50000/-		
016579	31.10.2019	1,00,000/-		
016580	03.11.2019	1,00,000/-		

भाग- 2 ब

प्रस्तर-2 रु 33.46 लाख के निर्माण/मरम्मत कार्यों मे उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन न किया जाना

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर 40 के अनुसार, किसी नए कार्य, मरम्मत अनुरक्षण आदि को प्रारम्भ करने के पूर्व निम्नलिखित नियमो/सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिये-

1. सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो गया हो।
2. बजट की उपलब्धता हो एवं सक्षम प्राधिकारी से व्यय करने की संस्वीकृति उपलब्ध हो।
3. उपर्युक्त विस्तृत डिजाइन अनुमोदित हो।
4. लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य विशिष्ट अभिकरण से अनुमोदित विभिन्न मदो की विस्तृत विशिष्टियाँ एवं मात्राओ युक्त प्राक्कलन उपलब्ध हो गया हो।
5. वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले व्ययों के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा धनराशि उपलब्ध करा दी गयी हो।
6. स्थापित नियमो के अधीन निविदाओ (सिविल और विद्युत कार्य के लिये प्राधिकृत) को आमंत्रित कर उन पर कार्यवाही की गयी हो।
7. निर्धारित मानको के अनुसार कार्यदेश निर्गत किये गए हो।
8. रु 15.00 लाख तक की लागत के आंगणन विषयक समस्त मूल निर्माण तथा मरम्मत कार्य विभागध्यक्ष द्वारा स्वयं लोक निर्माण संगठन को निर्दिष्ट किया जा सकता है।
माह जुलाई 2017 से नवंबर 2020 तक (लेखापरीक्षा अवधि) के मरम्मत संबंधी बिल/बाऊचर एवं रोकड़ बही संबंधी अभिलेखो की जांच मे पाया गया की महाविद्यालय द्वारा संलग्नक-1 मे अंकित निर्माण/मरम्मत कार्यों को करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य विशिष्ट अभिकरण से अनुमोदित विभिन्न मदो की विस्तृत विशिष्टियाँ एवं मात्राओ युक्त प्राक्कलन नहीं बनवाया गया। और न ही डिजाइन अनुमोदित की गयी। तथा न ही स्थापित नियमो के अधीन निविदाओ (सिविल और विद्युत कार्य के लिये प्राधिकृत) को आमंत्रित कर उन पर कार्यवाही की गयी हो। मात्र कोटेशन प्राप्त कर समस्त निर्माण/मरम्मत कार्यों को स्वयं के स्तर से कराया गया। तथा स्वयं ही कार्य के संतोषजनक होने का प्रमाणपत्र दिया गया। जो उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लघन था।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर बताया गया कि पूर्व के वर्षों में भी कार्य आकस्मिकता के आधार पर महाविद्यालय द्वारा कराये जाते रहे हैं। भविष्य में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन किया जाएगा।

इकाई के उत्तर से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महाविद्यालय द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यों में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन नहीं किया जा रहा था।

अतः रु 33.46 लाख के निर्माण/मरम्मत कार्यों में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन न किया जाने के प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक-1

दिनांक/माह	वाउचर संख्या	मद का विवरण	ठेकेदार जिसको भुगतान किया गया।	भुगतानित धनराशि
01/2018	22	मरम्मत/पेंटिंग	जे एस रावत	60,662/-
05/2018	24	मरम्मत/पेंटिंग	जे एस रावत	124950/-
08/2018	01	मरम्मत/पेंटिंग	जे एस रावत	29,400/-
10/2018	14	वाटर प्रूफिंग और रूफ क्लीनिंग	जे एस रावत	40,866/-
11/2018	05	क्लीनिंग और पेंटिंग	जे एस रावत	96,187/-
01/2019	33	पेंटिंग एवं मरम्मत	जे एस रावत	1,87,981/-
01/2019	34	धवस्तिकरण एवं पुनर्निर्माण	जे एस रावत	3,21,499/-
01/2019	35	पुताई एवं मरम्मत	जे एस रावत	27,048/-
01/2019	36	मरम्मत एवं पुताई	जे एस रावत	20,501/-
01/2019	37	मरम्मत एवं पुताई	जे एस रावत	54,272/-
02/2019	15	मरम्मत एवं पुताई	जे एस रावत	2,18,161/-
03/2019	18	वाटर प्रूफिंग, मरम्मत एवं पुताई	जे एस रावत	1,54,805/-
03/2019	30	वाटर प्रूफिंग, मरम्मत एवं पुताई	जे एस रावत	1,69,625/-
03/2019	31	वाटर प्रूफिंग, मरम्मत एवं पुताई	जे एस रावत	1,25,277/-
05/2019	17	मरम्मत कार्य	जे एस रावत	1,88,791/-
06/2019	10	मरम्मत कार्य	जे एस रावत	87,881/-
06/2019	19	मरम्मत कार्य	जे एस रावत	43,977/-
07/2019	17	मरम्मत कार्य	जे एस रावत	5,04,948/-
09/2019	22	मरम्मत एवं पुताई	जे एस रावत	1,28,635/-
10/2019	18	मरम्मत कार्य	जे एस रावत	2,07,594/-
12/2019	31 से 34	मरम्मत कार्य	जे एस रावत	2,47,745/-
01/2019	27 एवं 28	पुताई एवं मरम्मत	जे एस रावत	2,66,031/-

		कार्य		
02/2020	17	पुताई कार्य	जे एस रावत	39335/-
			कुल योग	33,46,171/-

भाग-2 ब

प्रस्तर-3 रु 2.72 लाख का निरर्थक व्यय

महाविद्यालय द्वारा आयकर संबंधी मामलो के निपटान हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति हमेशा की जाती रही है। जिसके एवज में उनको शुल्क का भुगतान किया जाता रहा है। परंतु आयकर संबंधी पत्रावली के निरीक्षण में पाया गया कि चार्टर्ड एकाउंटेंट नियुक्त होने के बावजूद वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान आयकर का विलंबित एवं कम भुगतान किए जाने के कारण आयकर विभाग द्वारा रु 1.73 लाख का अर्थदण्ड वसूला गया था। तथा रु 0.99 लाख के शुल्क का भुगतान चार्टर्ड एकाउंटेंट को आयकर की कार्यवाही संपादित कराने हेतु महाविद्यालय द्वारा किया गया।

इस संबंध में पूछे जाने पर कि चार्टर्ड एकाउंटेंट के होने के बावजूद विलंबित एवं कम भुगतान किन कारणों से संभव हुआ। तथा रु रु 2.72 लाख के निरर्थक व्यय से महाविद्यालय बच सकता था।

महाविद्यालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि पूर्व में नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट की ज़िम्मेदारी थी कि वह समय से एवं पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करे।

महाविद्यालय के उत्तर से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महाविद्यालय द्वारा नियुक्त तत्कालीन चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ज़िम्मेदारी से कार्य न किए जाने के कारण रु 2.72 लाख का निरर्थक व्यय अर्थदण्ड के रूप में करना पड़ा।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग - 2'ब'

प्रस्तर-4 एनपीएस के अंतर्गत अंशदान की कटौती नहीं किए जाने के कारण कार्मिकों को नियोक्ता अंश की धनराशि रु 36,05,636/- से वंचित रखा जाना ।

उत्तराखंडमेंराज्यकर्मचारियोंकेलिए “अंशदायीपेंशनयोजना” शासनादेश 21/XXVII(7)/अ०पे०यो/2005 केअनुसारदिनांक 25.10.2005 सेलागूकीगयी।नयीअंशदायीपेंशनयोजनाकेअंतर्गतमूलवेतनऔरमहंगाईभत्तेके 10% केसमतुल्यधनराशिकामासिकअंशदानकियाजाएगा।इसीकेसमतुल्यसेवायोजककाअंशदानराज्यसरकार द्वाराकियाजायेगा।

इससंबंधमेंअपरसचिवउत्तराखण्डशासनकेपत्रसंख्या -113/06/XXVII(10) 2017,दिनांक: 06-04-17 मेंस्पष्टकियागयाहैकिअंशदाईपेंशनयोजनाकेअन्तर्गतकार्मिकोंके 10% अंशदानकीकटौतीउनकेवेतनमदकेलेखाशीर्षक -8342011170301 मेजमाकियाजाएगा।साथहीसमतुल्यधनराशिसरकारकेअंशदानकेरूपमें 2071011170301 सेकटौतीकरलेखाशीर्षक 8342011170302 मेजमाकीजाएगी।इसप्रकारलेखाशीर्षक -83420111703 मेजमाकुलधनराशिकोआहरितकरनिदेशक,कोषागारद्वारासी0 आइ0 ए0 कोप्रेषितकियाजाएगा।

कार्यालयप्राचार्यडी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज देहारादून केनियुक्तकर्मचारियों / अधिकारियोंकेएनपीएस/PRANखातोएवंउससेसंबन्धितअभिलेखोंकीनमूनालेखापरीक्षाजांचमेपायागयाहै किंसंबन्धितकार्मिकोंकीनियुक्तकार्यालयमेकीगयीथी,नियमानुसारनियुक्तकेतुरन्तबादPRANNo.प्राप्त कियाजानाचाहिएथातथाकार्मिककेप्रत्येकमाहवेतनसे (मूलवेतन + महंगाईभत्ता) के 10% धनराशिकीकटौतीकीजानीचाहिएथी,परंतुNPSकेतहतअंशदानकीकटौतीनहींकिएजानेकेकारणकार्मिकोंको नियोक्ताअंशकीधनराशिरु 36,05,636/- सेवंचितरहनापड़ा।

इस संबंध में इकाई से पूछने पर बताया गया कि अभिदाताओ द्वारा समय पर आवेदन न किए जाने एवंकार्यालय में कार्य की अधिकता के कारणसमय से आवेदन अग्रसारित न किए जाने के कारण विलंब हुआ। वर्तमान में PRAN संख्या हेतुकार्यवाही समया की जा रहा है।

इकाई का उत्तर स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः एनपीएसके अंतर्गत रु 36.06 लाख की कटौती न किये जाने के प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है

STAN

प्रस्तर-1 रु 5.99 लाख का अनियमित व्यय

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर संख्या-47 के अनुसार रु 50000/- से अधिक के कार्य/खरीद में सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर रु 2.50 लाख की लागत के कार्य करा सकता है।

मरम्मत खाते की रोकड़ बही और बिल बाउचरो के निरीक्षण में पाया गया की निम्नलिखित सामग्री की खरीद एवं कराये गये कार्य में कोटेशन प्रक्रिया का पालन न करके सीधे खरीद/कार्य कराया गया। जो उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन था।

वाउचर संख्या	माह	विवरण	राशि
08	08/2017	प्रिंटिंग सामग्री क्रय	82,790/-
02	02/2018	सीसीटीवी स्थापना	50,573/-
22	05/2018	प्राचार्य कक्ष के लिये फर्नीचर खरीद	95,050/-
10	01/2019	प्रिन्टर, रीफील एवं कार्टिजेस की खरीद	51,627/-
45	01/2019	फर्नीचर क्रय	71,623/-
14	08/2019	ओएमआर स्कैनर सर्विसेस	72,964/-
01	12/2019	सीपीयू की स्थापना	64,395/-
21	01/2020	फ्लड लाइट की स्थापना	60,705/-
25	01/2020	आलमीरा, ग्लास की रेपलेसमेंट एवं मरम्मत	49,725/-
		कुल योग रु	599452/-

कोटेशन प्रक्रिया का पालन न करके सीधे कार्य कराये जाने के संबंध में महाविद्यालय से पूछे जाने पर बताया गया की कार्य की आवश्यकता एवं आकस्मिकता के कारण सीधे खरीद की गई। भविष्य में विशेष ध्यान रखा जायेगा।

महाविद्यालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उपरोक्त सभी कार्य या खरीद आवश्यकता या आकस्मिक प्रकृति के नहीं थे। न ही आकस्मिकता को ध्यान में रखकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई।

अतः रु 5.99 लाख के अनियमित कार्य/क्रय पर किये गये व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2 यूजीसी खाते मे अवरुद्ध राशि रु 16.60 लाख एवं समाप्त एवं बांध शोध कार्यो मे अवशेष राशि को वापस न किया जाना

यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अवशेष सम्पूर्ण राशि को यूजीसी को वापस किया जाना होता है । महाविद्यालय के यूजीसी खातो की जांच मे पाया गया की खाता संख्या 441408938 के अंतर्गत रु 12.41 लाख (माह 06/2020) एवं खाता संख्या 441408927 के अंतर्गत रु 4.19 लाख (माह 06/2020) अवशेष अवरुद्ध पड़ा हुआ था। उक्त दोनों खातो का उपयोग विगत कई वर्षो से नहीं किया जा रहा था।

साथ ही यह भी पाया गया की यूजीसी द्वारा शोध कार्यो हेतु महाविद्यालय को प्रोजेक्टवार राशि प्रदान की गई थी। शोध कार्य समाप्त होने या बंद हो जाने पर अवशेष राशि को अविलंब वापस किया जाना चाहिये था। किन्तु उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार महाविद्यालय द्वारा शोध कार्य समाप्त होने या बंद हो जाने के पश्चात भी अवशेष राशि को वापस नहीं किया जा रहा था।

उपरोक्त दोनों तथ्यो के संबंध मे पूछे जाने पर महाविद्यालय द्वारा बताया गया की यूजीसी के दिशानिर्देश के अनुसार उचित निर्णय लेकर अविलंब कार्यवाही कर दी जायेगी । तथा शोध कार्यो मे अवशेष राशि के संबंध मे बताया गया की सम्पूर्ण विवरण बनाये जाने पर की किन प्रोजेक्टो मे कितनी राशि शेष है जिसको वापस किया जाना है बनाये जाने मे समय लग रहा है।

महाविद्यालय के उत्तर से इस तथ्य की पुष्टि होती है की यूजीसी की अवशेष राशि को वापस किए जाने मे महाविद्यालय उदासीन है।

अतः यूजीसी खाते मे अवरुद्ध राशि रु 16.60 लाख एवं शोध कार्यो मे अवशेष राशि को वापस न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ'	भाग-II'ब'	STAN
35/2009-10	01	01 एवं 02	-
135/2013-14	01	01,02,03,04, एवं05	01
88/2015-16	-	01,02 एवं 03	01,02एवं 03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपलब्ध				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालयप्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य,डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
 - (i) शून्य
3. सतत् अनियमितताएं:
 - (i) शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	डा. डी.के. भसीन	प्राचार्य	29.10.16से 21.04.18
2	डा. अजय सक्सेना	प्राचार्या (प्र.)	22.04.18से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य,डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/एएमजी-1, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,महालेखाकार भवन,कौलागढ़, देहरादून- 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.।